

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन SAAP-I एवं SAAP-II के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किस्त केन्द्रांश की विमुक्त राशि ₹136,97,64,119.00 (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तानवे लाख चौंसठ हजार एक सौ उन्नीस रू0 मात्र) के अनुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश की राशि ₹82,18,58,471.00 (बयासी करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) की अवशेष राशि ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं0-154 दिनांक-13.3.19 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन SAAP-I एवं SAAP-II के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-K-16015/45/2016-AMRUT-II/AMRUT-IB दिनांक-12.12.2018 द्वारा द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹136,97,64,119.00 (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तानवे लाख चौंसठ हजार एक सौ उन्नीस रू0 मात्र) विमुक्त किया गया है। विमुक्त राशि के अनुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश की राशि ₹82,18,58,471.00 (बयासी करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) में से ₹80.00 करोड़ (अस्सी करोड़ रू0 मात्र) की निकासी की विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-105 दिनांक-28.12.2018 द्वारा किया जा चुका है। बजट उपबंध के अभाव में ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) की निकासी नहीं की जा सकी थी। उक्त अवशेष राशि ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ एकहत्तर रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो राशि आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-7085 दिनांक-19.09.2018 के

अनुदेशों के आलोक में और विभागीय राज्यादेश सं0-02ब0/बजट-14-19/2017-1322 दिनांक-27.02.2019 के द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। निकासी की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051- निर्माण, उप शीर्ष-0302-शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT), विपत्र कोड -48-2217030510302, PFMS कोड-9556, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि 83.00 करोड़ रू0 में से विकलनीय होगा।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक-

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

114

दिनांक- 13/03/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी AMRUT नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन SAAP-I एवं SAAP-II के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किस्त केन्द्रांश की विमुक्त राशि ₹136,97,64,119.00 (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तानवे लाख चौंसठ हजार एक सौ उन्नीस रू0 मात्र) के अनुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश की राशि ₹82,18,58,471.00 (बयासी करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) की अवशेष राशि ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन SAAP-I एवं SAAP-II के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-K-16015/45/2016-AMRUT-II/AMRUT-IB दिनांक-12.12.2018 द्वारा द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹136,97,64,119.00 (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तानवे लाख चौंसठ हजार एक सौ उन्नीस रू0 मात्र) विमुक्त किया गया है। विमुक्त राशि के अनुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश की राशि ₹82,18,58,471.00 (बयासी करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) में से ₹80.00 करोड़ (अस्सी करोड़ रू0 मात्र) की निकासी की विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-105 दिनांक-28.12.2018 द्वारा किया जा चुका है। बजट उपबंध के अभाव में ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) की निकासी नहीं की जा सकी थी। उक्त अवशेष राशि ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ एकहत्तर रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो राशि आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-7085 दिनांक-19.09.2018 के अनुदेशों के आलोक में और विभागीय राज्यादेश सं0-02ब0/बजट-14-19/2017-1322 दिनांक-27.02.2019 के द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से की जायेगी।

4

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। निकासी की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि ₹218.58471 लाख (दो करोड़ अठारह लाख अठावन हजार चार सौ इकहत्तर रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051- निर्माण, उप शीर्ष-0302-शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT), विपत्र कोड -48-2217030510302, PFMS कोड-9556, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि 83.00 करोड़ रू0 में से विकलनीय होगा।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0-147/टि0 पर दिनांक-12.03.19 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0-147/टि0 पर दिनांक-12.03.19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक-

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

154

दिनांक-13/03/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी AMRUT नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।